मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1390
09.02.2026 को उत्तर के लिए

दमन के लिए विशेष पर्यावरण कार्यबल

1390. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन में दवा उद्योगों की निगरानी के लिए दमन प्रदूषण नियंत्रण समिति में तैनात निरीक्षकों की संख्या कितनी है;
(ख) अब तक किये गये औचक निरीक्षणों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या दमन क्षेत्र के लिए कोई विशेष पर्यावरण कार्यबल गठित किया गया है;
(घ) अब तक पर्यावरण मुआवजे के रूप में कितनी राशि वसूली गई है; और
(ङ) क्या सरकार का भविष्य में "हरित अनुपालन-संबंधित प्रोत्साहन" नीति लागू करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): दमन प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव, संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित उद्योगों, जिनमें दवा उद्योग भी शामिल हैं, में पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 11 तकनीकी अधिकारियों की एक टीम तैनात की है। पिछले वर्ष दमन जिला में दवा उद्योगों के लिए कुल 20 निरीक्षण किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न उद्योगों पर ₹27,54,500/- की पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

(ङ) : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन उद्योगों के लिए 'स्टार' श्रेणी प्रणाली शुरू की है, जिन्होंने प्रदूषण सूचकांक (पीआई) को कम करके तथा व्यापारों से उत्पन्न होने वाले गंदे पानी में सिद्ध कमी लाने, या वायु प्रदूषण नियंत्रण, अथवा अपशिष्ट प्रबंधन उपायों के माध्यम से बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन किया है।

'स्टार' श्रेणी प्राप्त करने वाले उद्योगों को निम्न श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है तथा उन्हें पर्यावरणीय कोण से कम की गई निगरानी/ कम अनुपालन भार के साथ प्रोत्साहित किया जाता है। 'स्टार' श्रेणी के उद्योगों के लिए निरीक्षणों की आवृत्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं	**कम प्रदूषण सूचकांक का प्रदर्शन करके उद्योग की श्रेणी में बदलाव**	**पुनरीक्षित उद्योग श्रेणी में**	**पुनरीक्षित निरीक्षण आवृत्ति**
1.	लाल से नारंगी	लाल श्रेणी	वर्ष में 1 बार के बजाय 6 माह में
2.	नारंगी से हरा	नारंगी श्रेणी	वर्ष में 2 बार के बजाय 1 वर्ष में
3.	हरा से सफ़ेद	हरा श्रेणी	वर्ष में 4 बार के बजाय 2 वर्ष में

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं के अंतर्गत 9 क्षेत्रों के लिए उद्योगों के वर्गीकरण में "ब्लू श्रेणी" भी शुरू की है। यह एक प्रोत्साहन तंत्र है, जिसका उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र की इकाइयों को ऐसे उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके। ब्लू श्रेणी के उद्योगों में सार्वजनिक अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी), सार्वजनिक खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण एवं निपटान सुविधा (सीएचडबल्यूटीएसडीएफ़), अपशिष्ट जल संवहन प्रणाली आदि और घरेलू/गृहस्थ कार्यकलापों (सीवेज शोधन संयत्र (एसटीपी) तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से उत्पन्न अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल हैं ।

******